



आगामी विधानसभा चुनावों के महानेजर भाजपा प्रदेश भर की 200 विधानसभा सीटों पर जनक्रोश यात्रा करने जा रही हैं, जिसकी तैयारी के सम्बंध में जयपुर में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को संबोधित किया।

## भाजपा की 200 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर जयपुर में हुई कार्यशाला

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, आपको भरोसा देता हूँ कि 2023 और 2023 के बाद अनंतकाल तक भाजपा राजस्थान में सत्ता का माध्यम बनेगी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता राज करेगी और इसलिए यह संघर्ष कांग्रेस के जंगलराज के खिलाफ आपातकाल जैसा ही है

जयपुर, 23 नवम्बर (का.सं.)। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की भाजपा जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर सी स्वीम स्थित महावीर स्कूल सभागार में जिला व विधानसभा संयोजक व सह संयोजकों की कार्यशाला को संबोधित किया।

जन आक्रोश यात्रा कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासन में जनविरोधी नीतियों व वादाखिलाफी से हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई नौजवान केवल 35 सौ रुपये कर्जे के कारण ना केवल अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, बल्कि उसका पूरा परिवार अपने प्राणों को त्यागने को मजबूर हो जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं होगा कि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर का सोहनलाल कडेल अपना लाइव वीडियो बनाकर यह कहा कि "मैं अपनी मौत को इसलिए गले लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कर्जे से तंग आकर आत्मदाह कर रहा हूँ, जिस प्रदेश के मुखिया को किसी अबला के 35 टुकड़े किए जाने पर सामान्य घटना लगती है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का 1 वर्ष का आंकड़ा 6337 हो, प्रतिदिन औसत 17 बलात्कार, 7 हत्या, जिसके खतों में दर्ज हो, चार वर्षों में सवा 8 लाख से अधिक मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज होते हैं, आपके घर नवजात पैदा होता होगा आप लोग किये जाने वाले हैं, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपस्ती में जब कर्जे का आंकड़ा 5 लाख करोड़ के लगभग पहुंचता है तो वह बेटा-बेटी 80 हजार का कर्जा लेकर पैदा होता होगा।

- कार्यशाला में प्रदेशभर से 500 से अधिक जिला व विधानसभा संयोजक एवं सह संयोजक जुटे।
- राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा और कमल के फूल के छाते के नीचे आपकी पहचान, आपका स्वामिना, आपका गौरव, आपकी खूबी, आपका वर्तमान, आपका भविष्य यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मिशन 2023 के विजय संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध होकर जुट जाएं।

उन्होंने कहा कि करोना त्रासदी के 2 साल बहुत ही मुश्किल से निकले, लेकिन इस दौरान भाजपा के 685 कार्यकर्ताओं ने सेवा करते करते अपने प्राणों का उर्सग कर दिया।

पूनिया ने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान की 30 प्रतिशत से ज्यादा है, 70 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी थी, 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कहते घूम रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 69 लाख का क्या होगा यह रोडमैप राज्य सरकार के पास नहीं है। हर 12 किलोमीटर पर प्रध्ताचार की रफ्तार है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान की धरती पर जब पहला कदम रखेंगे, मेरा पहला सवाल होगा किसान कर्जमाफी के वादे को लेकर पता नहीं वर्ष 2018 की जनसभा में किसने राहुल गांधी को पर्चा पहुंचाई और जब वो कह रहे थे कि 1 से 10 तक गिनती गिनुंगा किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, राजस्थान के 60 लाख किसानों 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार करते हैं।

पूनिया ने कहा कि "मुझे पता लगा कि राहुल की मालाखेड़ा में सभा है, अलवर के मालाखेड़ा में बड़ा रोचक वाक्या हुआ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई तो तुरंत नौकरी, एक नौजवान को खड़ा किया और पूछा

आपका क्या नाम है उसने कहा कि, रूपसिंह, रूपसिंह को नौकरी पक्की। अब 4 साल हो गए रूपसिंह बेचारा चक्कर काटते ही घूम रहा है। इसलिए जब राजस्थान की धरती पर राहुल गांधी कदम रखें तो इन बातों का जवाब जरूर लेकर आएं।"

उन्होंने कहा कि "मित्रों आपमें से बहुत लोगों ने वर्ष 1975 की इमरजेंसी को सुना होगा और यहां कुछ लोगों ने उस इमरजेंसी को देख व भुगत भी है। आज राजस्थान का वही दृश्य है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपसे न्याय मांगती है, हम लोग राजस्थान की जनता के लिए, उसके लोक कल्याण के लिए केवल सत्ता के लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए संकल्पित हैं, राजस्थान की राजनीति के अजातिशु स्पर्गीय भरोसिंह शेखावत की जन्म सताब्दी है, उनकी सरकार से लेकर भाजपा सरकारों में हुए अबतक के विकास कार्यों से राजस्थान की दिशा को दशा को बदलने का काम किया, पिछले दिनों रेलमंत्रि अश्विनी वैष्णव आए, उन्होंने बताया कि अकेले राजस्थान में 56 हजार करोड़ रूपये रेल नेटवर्क को विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने दिए।

पूनिया ने कहा कि "मुझे पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाने का मौका मिला, मैंने एक लाइव वीडियो जारी किया था, जोधपुर के नजदीक कहीं किसी शोक सभा में गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा आधा घंटा लगेगा जाकर आ

जाओगे। सफर 30 किलोमीटर था और मुझे एक घंटा लगा, पता नहीं लग रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्डे में सड़क, इतने खड़े थे जितने कांग्रेस पार्टी के शासन में और कांग्रेस पार्टी में हैं, बिजली और पानी की दशा आपको पता है, पानी का हाहाकार आपको पता है, अस्पताल और स्कूलों की दशा आपको पता है।"

"अशोक गहलोत ने खोल दिए खूब सारे कॉलेज खोलें, लेकिन ना बिल्डिंग है, ना फैकल्टी है, स्कूल खोल दिए संसाधन नहीं है। इसलिए ऐसी अराजक, आततायी सरकार के खिलाफ यह दृश्य कैसा ही है जैसा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ, जो गुजरात से शुरू हुआ और बिहार से समग्र क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ।"

उन्होंने कहा कि "यह अराजकता के खिलाफ लड़ाई है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, जिस मानसिकता में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। यह कैसा प्रदेश है कैसा शासन है, रामनवमी के जूलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए। मैं कौं सियासी बात नहीं कर रहा, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली यह वो सारे स्थान हैं जिसमें अत्याचारों और तुष्टिकरण की आपने पराकाष्ठा देखी होगी, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल सियासी रोटी सेकना, केवल केन्द्र सरकार को बदनाम करने का काम करना, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है।"

इस दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, हेमराज शर्मा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री कालुलाल गुर्जर, गजेंद्र सिंह खौरसर, सुरेन्द्र पाल सिंह ठीटी, प्रदेश मंत्री ब्रज सिंह बगड़ी, महेंद्र जाटव, मधु कुमावत इत्यादि भी उपस्थित रहे।

## 'माही सागर बांध का पानी जालोर, बाड़मेर व सिरौही आयेगा'

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि, जनवरी 2023 तक, इस पानी को राजस्थान लाने के लिए विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट पेश करे

जालोर, 23 नवम्बर (का.सं.)। राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर के अध्यक्ष सेवानिवृत्त तहसीलदार ब्रदीदान ने बताया कि संघर्ष समिति की ओर से मैंने गुजरात के विभागों में 446 बार आरटीआई लगाकर सूचनाएं मांगी। उन दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उसके आधार पर उच्च न्यायालय ने अब राज्य सरकार को जनवरी के दूसरे सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह किसानों की पहली जीत है, हम प्रयास करेंगे कि सरकार इस सत्र में माही परियोजना के लिए बजट जारी करे।

ब्रदीदान ने कहा जालोर समेत बाड़मेर और सिरौहीवासियों के लिए खुशखबरी है। पिछले लंबे समय से माही बजाज सागर परियोजना को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से किए जा रहे प्रयासों को कुछ हद तक राहत मिली है। दरअसल, समिति की ओर से माही बांध के पानी को जालोर, सिरौही व बाड़मेर को उपलब्ध करवाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में मार्च 2021 में एक जनहित याचिका दायर की थी, उसमें अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक एक प्लान बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को जालोर में प्रेसवार्ता के दौरान कहा, राज्य सरकार को किसान संघर्ष समिति की ओर से दिए गए चार सुझावों के साथ-साथ खुद का विकल्प भी शामिल करने को निर्देश दिया है।

समिति पदाधिकारियों ने बताया कि अब न्यायालय का सहयोग मिलने से भरोसा बढ़ गया है, इसके कार्य की योजना को लेकर समिति की ओर से 28 नवम्बर को नरपुरा में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, ताकि सरकार माही बजाज योजना के लिए इस बजट सत्र में बजट जारी कर सके। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का माही बांध एवं गुजरात में बने कडाणा बांध के पानी के वितरण का समझौता हुआ था। जिसमें प्रथम पंचम बिंदु में साफ लिखा है कि माही व कडाणा बांध के पानी पर पश्चिमी राजस्थान का हक है। इस समझौते पर राजस्थान के तत्कालीन कृषि मंत्री नाथुराम मिश्रा, गुजरात के जल संसाधन सचिव एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री विजय त्रिवेदी के हस्ताक्षर

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू होने वाली माही नदी, जिस पर माही सागर बांध बना है, में सात नदियों का संगम होता है। वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात के बीच समझौता हुआ था कि, इसका 9 टी.एम.सी. फीट (थाउजर्ड मिलियन क्यूबिक फीट) पानी राजस्थान को तथा 4 टी.एम.सी. फीट पानी गुजरात को दिया जाएगा।

गुजरात के कडाणा बांध के संबंध में डी.एन. खोसला की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1965 में कडाणा बांध का दो तिहाई पानी राजस्थान को देने का फैसला दिया था।

1988 में नर्मदा टर्मिनल की स्थापना की गई। हाई कोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीशों की उपस्थिति में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में जब नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब कडाणा बांध से 40 टी.एम.सी. फीट पानी टनल के जरिए जालोर, सिरौही, बाड़मेर को दिया जाएगा।

विडम्बना यह रही कि, 1988 से लेकर वर्ष 2000 तक इस समझौता पत्रावली पर किसी भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, वर्ष 2002 में मुख्य अभियंता, बजाज सागर परियोजना, ने गुजरात सरकार को एक राजकीय पत्र भेजा, उसके पश्चात 3 मार्च 2005 को राजस्थान सरकार की टीम सर्वे करने गुजरात गई।

वर्ष 2008 से 2013 के बीच यह महत्वपूर्ण भागीरथी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब राजस्थान किसान संघर्ष समिति का पिछले 14 साल का संघर्ष रंग लाने लगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि माही बांध का पानी बाड़मेर, जालोर के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए।

माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू होती है, जिसमें सात नदियों सुकड़ी, अनास, सोम, अंबा, पामडी, माही, साबरमती का संगम होता है। माही सागर बांध की बांसवाड़ा शहर से ऊपर 7-10 किलोमीटर ऊपर 1960 में स्थापना की गई थी। 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात के बीच समझौता हुआ था कि 9 टीएमसी फीट (थाउजर्ड मिलियन क्यूबिक फीट) पानी राजस्थान को तथा 40 टीएमसी पानी गुजरात को दिया जाएगा। इस परियोजना का नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा गया। बांसवाड़ा बांध के कार्य शुरू होने पर माही सागर जिले में गुजरात सरकार ने कडाणा बांध का काम शुरू किया। जिस पर बांसवाड़ा इंग्रपुर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया। कडाणा डैम के डूब क्षेत्र में राजस्थान के 132 गांव और गुजरात के 52 गांव प्रभावित हुए। जिस पर डीएन खोसला की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, जिसने 1965 में अपना निर्णय दिया कि कडाणा बांध के 1/3 पानी का गुजरात उपभोग करेगा तथा 2/3 पानी का पश्चिमी राजस्थान के जालोर, सिरौही व बाड़मेर उपयोग करेगा। वर्ष 1983 में राजस्थान सरकार

ने अपने हक का पानी पाने के लिए आवाज उठायी पर गुजरात सरकार ने पानी देने पर राजी नहीं हुई। वर्ष 1988 में नर्मदा टर्मिनल की स्थापना की गई। जिसमें दो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की उपस्थिति में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार जब गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब 40 टीएमसी पानी व कडाणा बांध का पानी जालोर सिरौही बाड़मेर को टनल द्वारा दिया जाएगा। विडम्बना यह रही कि 1988 से लेकर 2000 तक इस समझौता पत्रावली पर किसी भी सरकार पार्टी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, वर्ष 2002 में मुख्य अभियंता बजाज सागर परियोजना द्वारा गुजरात सरकार को एक राजकीय पत्र दिया गया, उसके पश्चात 3 मार्च 2005 को राजस्थान सरकार की टीम गुजरात में सर्वे पर गई। इसके पश्चात 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया कि जिसमें पूरी परियोजना का अध्ययन कर अरावल पर्वतमाला में सुरंग कर विशाला भीमनाल के पास लाने के लिए निविदा आमंत्रित करने के आदेश दिए और 1 से 3 फरवरी 2006 तक माही, बनास, साबरमती डायवर्जन टनल की प्रगति के लिए सर्वे हुआ,

जिसकी अनुमानित लागत 6500 करोड़ तय की गई। परंतु रिपोर्ट आने तक सरकार बदल गई और 2008 से 2013 तक यह फिर से जालोर सिरौही बाड़मेर की महत्वपूर्ण भागीरथी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब राजस्थान किसान संघर्ष समिति को पिछले 14 साल का संघर्ष करने को पिछले 14 साल का संघर्ष करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से राज्य सरकार को इन सुझावों पर योजना बनाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं ताकि माही बांध का पानी बाड़मेर जालोर के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए

भारतीय किसान संघ समिति के संयोजक विक्रमसिंह पुनासा ने बताया कि आर.टी.आई. से प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्च न्यायालय में रिट पेश करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने तो यह कह दिया कि हमें इस सम्झौते में जानकारी तक नहीं है। राज्य सरकार ने कुछ सहयोग जरूर किया क्योंकि, इस पानी की जालोर व बाड़मेर को जरूरत है। अब हाईकोर्ट के निर्देश से हमें कुछ होसला मिला है। उम्मीद है सरकार भी योजना बनाकर बजट जारी करेगी।

## 'मोटर यात्रा...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि वर्ष 2016 में संघ के पत्र पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए थे, लेकिन छह साल बाद भी सिर्फ स्टेटोग्राफर और लेखाधिकारी ही नियुक्त किए गए, लेकिन सभी सिफे से पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेशों से श्रम न्यायालय और अन्य न्यायालयों को भी मोटर वाहन के लिम्बट दावे हस्तांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर लेखाधिकारी और स्टेटोग्राफर तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे अधिकरण का काम ठीक से नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संघर्ष शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने विभिन्न निर्देशों में सिर्फ स्टेटोग्राफर और लेखाधिकारी के पद ही भरने का कहा था, जो अतिक्रमण जगह भर दिए गए हैं। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी की।

मुख्य न्यायाधीशों पंकज मिश्रल और न्यायाधीश रेखा बोराणा को खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दो सप्ताह में तालिका और शपथ पत्र पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और इनकी संख्या कितनी है। राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताएं कि रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा।

## ई.डब्ल्यू.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। "निष्प्रभावी करने" के लिये आधारभूत सैदान्तिक ढाँचे का प्रयोग "तलवार" के रूप में करने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। बैंच ने 3:2 के बहुमत 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में फैसला दिया था।

## महाराष्ट्र का एम.बी.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। सफलता नहीं मिल रही। लेकिन अगर पार्टी बिहार के मौजूदा महागठबंधन, जो जे.डी.यू., आर.जे.डी. तथा कांग्रेस से मिलकर बना है, के साथ अपने चुनाव-पूर्व गठबंधन को औपचारिक रूप दे देती है तो पार्टी की संभावना है कि कुछ बेहतर हो सकती है। शिव सेना को साथ लेकर, महागठबंधन के नेता ऐसा मान सकते हैं कि शिव सेना उनके लिये वैसी सिद्ध हो सकती है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने की कोशिश करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.डी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मॉटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, "वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।" आदित्य टाकर ने कहा, "हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मॉटिंग नहीं हो सकी। हमने कई बिन्दुओं पर चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।"

## भारत जोड़ो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। आकर बताना चाहिए कि आखिर इस पूरे षडयंत्र के पीछे कौन-कौन लोग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि "मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड्गे जी से मिलकर आया हूँ और मेरी उनसे वन टू वन बात हुई है और जल्द ही इस बातचीत का नतीजा निकलेगा।"

बिहार के मुख्यमंत्री तथा उनके उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सहित, अन्य राज्यों के प्रयासों में लगे हुये हैं तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सहित, बहुत विपक्षी नेताओं के मन टटोले हैं। नीतीश कुमार ने तो अधिकृत वक्तव्य के रूप में कस भी दिया है कि अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक गठबंधन भाजपा को हरा सकते हैं। शिव सेना है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने की कोशिश करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.डी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मॉटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, "वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।" आदित्य टाकर ने कहा, "हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मॉटिंग नहीं हो सकी। हमने कई बिन्दुओं पर चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।"

## 'विद्युत नियामक ...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। दिये गये सिद्धांतों को लागू करने वाले आवश्यक नियम तैयार नहीं किये हैं, जबकि केन्द्र तथा राज्यों ने विद्युत-क्षेत्रों के नियमन के लिये नीतियाँ तथा गाइडलाइन्स तैयार कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धर्मजयवाई, चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति ए.एस. बोपला एवं जे.बी. पाटीवाला की बैंच ने कहा कि जहाँ-जहाँ आयोगों ने नियम तैयार कर दिये हैं, उनमें संशोधन किये जायेंगे ताकि उनमें शुल्क-निर्धारण की रीति-नीति के चयन के लिये मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल किये जा सकें। बैंच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बैंच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण के लिये लम्बे समय तक चलने वाली प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इस प्रकार लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच सकें।

## चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर काफी तीखी टिप्पणी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। सुनवाई के लिये गये इस बहुत बड़े मुद्दे के तुरन्त बाद यह बात कही। भूषण ने कहा, "अरूण गोयल अभी गुरुवार तक सरकार में सचिव-स्तर के ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। एकाएक शुक्रवार को उन्हें वी.आर.एस. दे दिया गया तथा चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया।" उन्होंने कहा कि वे 60 वर्ष की उम्र पूरा करने पर 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने को थे।

अदालत ने सरकार के वकील, अटॉर्नी जनरल आर. वैकटरमानी की इस आपत्तियों को खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत उदाहरण लेना अच्छी बात नहीं है। अदालत ने सरकारी वकील से कहा, "हम यह देखना चाहते हैं कि यह मैकनिज्म क्या है। हम इसे प्रतिकूल अर्थ में नहीं लेंगे तथा इसे अपने रिर्काई के

## कार्यपालन पूरा नहीं किया।

अदालत ने कहा कि एक के बाद एक, सरकारों ने ई.सी.आई. की स्वतंत्रता "पुरी तरह नष्ट कर दी" है तथा किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त 1996 के बाद आयोग के प्रमुख के रूप में, अपना छः वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। अदालत ने कहा, "यह बहुत ज्यादा व्याकुल कर देने वाली प्रवृत्ति है। टी.एन. शेणन (जो 1990 से 1996 तक छः साल सी.ई.सी. रहे थे) के बाद, यह पतन शुरू हो गया तथा किसी भी व्यक्ति को पूरा कार्यकाल नहीं दिया गया। सरकार यह कर रही है कि चौँके उसे जन्मतिथि ज्ञात होती है, इसलिए वह सुनिश्चित कर लेती है कि सी.ई.सी. नियुक्त किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरे छः साल का कार्यकाल नहीं मिल सके।" अदालत ने कहा कि "चाहे यू.पी.ए. सरकार रही हो या यह

सरकार, रीति-नीति यही रही है।" बैंच ने कहा, "यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्षों में, छः सी.ई.सी. रहे तथा मौजूदा एन.डी.ए. सरकार के करीब आठ वर्षों में आठ सी.ई.सी. रह चुके हैं। जहाँ तक अपने देश का संबंध है, यह तीर-तरीका चिन्तित करने वाला है। संविधान में इस बाबत कोई "चैम्स एवं बैलेन्सेज" नहीं है। इस तरह से संविधान की खामोशी का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। चौँके किसी कानून ही नहीं है, अतः कानूनी रूप से वे (सरकारें) सही हैं। कानून के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता।"

बैंच ने अटॉर्नी जनरल आर. वैकटरमानी से कहा, "2004 के बाद सी.ई.सी. की कार्यपालन दो वर्ष से ज्यादा नहीं रहा। कानून के अनुसार, सी.ई.सी. का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक रहना

## तय है। इनमें से अधिकांश लोग पूर्व अफसरशाह थे तथा सरकार को उनको उम्र मालूम था। उन्हें उम्र के उस बिन्दु पर नियुक्त किया गया कि वे किसी भी सूरत में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें छोटा कार्यकाल ही मिला।"

बैंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 में सी.ई.सी. तथा ई.सी. की नियुक्ति के बारे में बताया गया है लेकिन इसमें इन नियुक्तियों की प्रक्रिया के प्रावधान के बारे में कुछ नहीं कहा गया तथा इस बाबत कानून बनाने का काम संसद के लिये छोड़ दिया गया। लेकिन पिछले 72 सालों में यह काम नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप, केन्द्र द्वारा कानून न होने का अनुचित फायदा उठाया जाता रहा है।" यह बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय तथा सी.टी. रवि कुमार भी शामिल हैं, यह

## सैल्फ-सर्विंग है तथा सरकार इसे समाप्त नहीं होने देगी। सत्ता में आने वाली प्रत्येक पार्टी इस पर अपनी पकड़ बनाये रखना चाहेगी।"

बैंच ने चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा, "अब यह यह उठता है कि जब चुनावों की शुद्धता तथा निष्पक्षता, लोकतंत्र के साथ गुंथी हुई हैं तो क्या अदालत को खामोश रहना चाहिए।"

## 'फुटबॉल...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)। गया है जिसमें कोर्ट ने 18 मई और 3 अगस्त के आदेश को बदलने की मांग की गई थी ताकि फीफा निलम्बन को वापस ले ले और भारत को अण्डर-17 वर्गमैनस वर्ल्ड कप फुटबॉल के आयोजन का अधिकार मिले। देश में पहली बार 11-30 अक्टूबर को फीफा इवेंट का आयोजन किया गया।